# दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

(ऊर्जा भवन, 220 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र सिकन्दरा, बाई पास रोड, आगरा-282007)

उ०प्र० सरकार का उपक्रम

**CIN:** U31200UP2003SGC027460 | **E-mail:** tds.gstdvvnl@gmail.com | **GSTIN: 09AACCD0695D1ZS**

पत्रांक– 85 /द०वि०वि०नि०लि०/आगरा/टीडीएस–जीएसटी दिनांक 02/01/2019

मुख्य अभियन्ता (वितरण)/(सामग्री प्रबन्ध–I/II)
(तकनीकि)/(वाणिज्य)/(जानपद)/(प्रशासन),
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
आगरा/आगरा–द्वितीय/अलीगढ़/कानपुर/झाँसी/बाँदा।

//

अधीक्षण अभियन्ता (भण्डार)/
अधिशासी अभियन्ता (विद्युत भण्डार खण्ड)
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
आगरा/अलीगढ़/कानपुर/झाँसी/बांदा।

**विषय :– 01 जनवरी 2019 से लागू टी०डी०एस० (जी०एस०टी०) में संशोधन के सम्बन्ध में।**

**TDS (GST) के सम्बन्ध में।**

जैसा कि पूर्व में अवगत कराया गया है, कि CGST Act की धारा 51 के अनुसार TDS (GST) काटने का दायित्व निम्न संस्थाओं/विभागों पर हैं:–

**(a)** A department or establishment of the Central Government and State Government or,
**(b)** Local Authority or,
**(c)** Government Agencies or,
**(d)** An Authority or a board or any other body-
  **(i)** Set up by an act of Parliament or a State legislature or **(ii)** Established by any Government,
  With fifty-one percent or more participation by way of equity or control, to carry out any function,
**(e)** Society established by the Central Govt. or the State Govt. or a Local Authority under the Societies Registration Act, 1860,
**(f)** Public Sector Undertakings.

इस सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित कार्यालय ज्ञाप सं० 8043/द०वि०वि०नि०लि०/आगरा/टी०डी०एस०–जी०एस०टी० दिनांक 29.11.2018 के द्वारा अवगत कराया गया था कि PSU to PSU द्वारा आपस में किये गये भुगतानों पर TDS (GST) लागू नहीं होगा। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के नोटिफिकेशन सं०–73/2018–Central Tax दिनांक 31 दिसम्बर 2018 के अनुसार अब उपरोक्त सभी संस्थाओं/विभागों द्वारा आपस में किये गये भुगतान पर TDS (GST) की प्रयोज्यता समाप्त कर दी गयी है।

संक्षेप में, अब निगम द्वारा उपरोक्त बिन्दु सं० (a), (b), (c), (d) (e) व (f) में से किसी को भी भुगतान करते समय TDS (GST) नहीं काटा जायेगा एवं तद्नुसार उपरोक्त (a), (b), (c), (d) (e) व (f) से निगम को प्राप्त होने वाली धनराशि पर TDS (GST) नहीं काटा जायेगा। चूँकि TDS (GST) काटने का दायित्व उपरोक्त संस्थाओं/विभागों का ही है एवं अब इनके द्वारा निगम को किये गये भुगतानों पर TDS (GST) नहीं काटा जाना है, अतः निगम को प्राप्त किसी भी भुगतान पर TDS (GST) नहीं कटेगा। किसी अन्य से भुगतान प्राप्त करते समय इकाईयाँ सुनिश्चित करें कि अन्य द्वारा भी TDS (GST) न काटा गया हो।

**उपरोक्त (a), (b), (c), (d) (e) व (f) के अतिरिक्त अन्यों को होने वाले भुगतान पर TDS (GST) प्रावधान यथावत् रहेंगे।**

उपरोक्त को समझने के लिए उदाहरण निम्नानुसार है:–

1. दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PSU) द्वारा Indian Railways (Departmemt of Central Government) को भुगतान करने पर द०वि०वि०नि०लि० द्वारा TDS (GST) नहीं काटा जायेगा।
   इसके विपरीत, Indian Railways द्वारा द०वि०वि०नि०लि० का भुगतान करने पर Indian Railways द्वारा TDS (GST) नहीं काटा जायेगा।
2. द०वि०वि०नि०लि० (PSU) द्वारा Agra Departmemt Authority (ADA) (Local Authority) को भुगतान करने पर द०वि०वि०नि०लि० द्वारा TDS (GST) नहीं काटा जायेगा। इसके विपरीत, ADA द्वारा द०वि०वि०नि०लि० का भुगतान करने पर ADA द्वारा TDS (GST) नहीं काटा जायेगा।
3. द०वि०वि०नि०लि० (PSU) द्वारा UPDESCO/PDIL/UPPSKNL/BSNL इत्यादि (PSU) को भुगतान करने पर TDS (GST) नहीं काटा जायेगा। इसके विपरीत, उनके द्वारा द०वि०वि०नि०लि० को भुगतान करने पर उनके द्वारा TDS (GST) नहीं काटा जायेगा।

(के०सी० पाण्डेय)
निदेशक (वित्त)

पत्रांक /द०वि०वि०नि०लि०/आगरा/जीएसटी/दिनांक /01/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक (वित्त/तकनीकी/वाणिज्य/का०प्र० एवं प्रशा०), द०वि०वि०नि०लि०, आगरा।
2. उप महाप्रबन्धक (वित्त), IPDS/RGGVY12th Plan/DDUGJY/सौभाग्य योजना, द०वि०वि०नि०लि०, आगरा।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, द०वि०वि०नि०लि०।
4. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी, द०वि०वि०नि०लि०।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता/आहरण एवं वितरण अधिकारी, द०वि०वि०नि०लि०।
6. लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान), द०वि०वि०नि०लि०, आगरा।

(के०सी० पाण्डेय)
निदेशक (वित्त)



Scanned by CamScanner